M.A. I- Sem II

Subject Code - History CC-5

History of Women Study

ब्रिटिश सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु अधिनियम

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय समाज में कई कुरीतियाँ विद्यमान थीं, जैसे सती-प्रथा, बाल-विवाह, बेमेल विवाह, बालिका-वध, विधवा विवाह निषेध, दास प्रथा तथा महिलाओं को अधिकार से वंचित रखना। आरंभ में ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन भारतीय लोगों के धर्म तथा समाज में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई थी, किंतु कालांतर में बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग के सहयोग से उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुधारवादी कानून बनाए। जैसे:-

(1) सती प्रथा निषेध कानून —

19वीं शताब्दी में सती प्रथा मुख्य रूप से बंगाल जिले के हुगली, नदिया और वर्दमान, उत्तरप्रदेश के गाजीपुर, बिहार के शाहाबाद, दक्षिण के गंजाम, मछलीपत्तम और तंजौर। राजस्थान, पंजाब और कश्मीर के अभिजात वर्ग में विशेष रूप से प्रचलित थी। अभिजात वर्ग के अलावा साधारण वर्ग में भी प्रचलित था। बंगाल में 3/4 भाग महिलाएं इस क्षेत्र में आती थीं।

सुधार हेतु अधिनियम

गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ई० में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया, जिसे 1833 ई० में काफी प्रतिरोध के बाद लागू किया गया।

2) विधवा-विवाह अधिनियम - (1856 ई०)

बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा जनमत के आधार पर गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने 1856 ई० में लागू किया। 1861 ई० में विधवाविवाह संगठन का निर्माण किया गया। इस सफल अभियान में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3) बाल-विवाह निषेध अधिनियम - (1872 ई०)

1872 ई० में यह पारित हुआ जो आगे चलकर 1929 ई० में 'बाल-विवाह निरोधक अधिनियम' के रूप में संशोधित हुआ। 1894 ई० में यह मैसूर में, फिर त्रावणकोर तथा मद्रास में लागू किया गया। 1929 में शारदा बिल पेश किया गया जिसके अंतर्गत बालिकाओं के विवाह की उम्र 14 और लड़के की उम्र 18 वर्ष रखी गई। 1955 के हिन्दू विवाह कानून के अंतर्गत लड़कियों की उम्र 15 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 रखी गई।

4) बालिका-वध निषेध कानून -

यह प्रथा मुख्यतः राजपूताना के राजपूतों में, तथा काठियावाड़, गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब और सिंध में प्रचलित थी। 1845 ई० में

लार्ड डलहौजी ने अधिनियम बनाया तथा सरकारी विज्ञप्ति जारी कर 1856 ई० तक इस प्रथा को अंत करने का प्रयास किया। बंगाल में पारित रेगुलेशन XXI के अनुसार इसे हत्या की श्रेणी में रखा गया।

5) अन्तर्जातीय विवाह वैध कानून – (1872 ई०)

1872 ई० में केशव चन्द्र सेन के आग्रह पर सरकार ने 'सिविल मैरेज एक्ट' पारित कर अन्तर्जातीय विवाह को वैध ठहराया। इससे बाल-विवाह पर भी प्रतिबन्ध लगी।

6) विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम (1874 ई०)

इसके अनुसार परिवार की सपत्ति पर महिलाओं को अधिकार दिया गया ताकि उनकी निर्भरता में कमी लाया जा सके।

इसके अलावे ब्रिटिश सरकार ने महिला शिक्षा प्रगति के लिए भी कानून बनाए। 1780 ई० में 'कलकत्ता मदरसा' तथा 1791 ई० में 'बनारस संस्कृत कॉलेज' खोला गया। सन् 1800 ई० में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। चार्ल्स ग्रांट के अनुरोध पर ब्रिटिश सरकार ने 1793 ई० के चार्टर द्वारा शिक्षा में अनुदान देने का निर्णय लिया।

1824 ई० में सरकार द्वारा कलकत्ता,

Scanned with CamScanner

आगरा, दिल्ली व मुरादाबाद में कॉलेजों की स्थापना की गई। 1833 ई० के मैकाले विवरण पत्र द्वारा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को मान्यता दी गई।

1854 ई० में 'वुड के घोषणा पत्र' में स्त्री शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया।

1882 ई० में हन्टर कमीशन ने स्त्री शिक्षा विकास हेतु बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति का प्रावधान किया तथा प्रशिक्षण विद्यालय भी खोले गए।

इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हेतु कई अधिनियम पारित किये ताकि महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मिल सके। 1861 ई० में मातृत्व लाभ, 1886 ई० में जन्म, मृत्यु और विवाह निबंधन कानून भी पास हुए।

— oo —

Scanned with CamScanner